(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1783–पीबीआर/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2006 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 47/2000–01/निगरानी

.....

अजमेर सिंह फौत द्वारा वारिस
धर्मेन्द्र सिंह पुत्र कदमसिंह
निवासी ग्राम चितौली तहसील डबरा जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–गुलाबसिंह पुत्र धनीराम गुर्जर(फौत द्वारा वैध वारिस :–)
(अ) लाखनसिंह पुत्र गुलाबसिंह
निवासी ग्राम बागबई तहसील भितरवार
2–तेजसिंह पुत्र धपलूराम
3–कीरतसिंह पुत्र धपलूरा
4–भगवानसिंह फौत वारिस :–
(अ)उत्तमसिंह पुत्र भगवानसिंह
(ब)शंकरसिंह पुत्र भगवानसिंह
5–बंशीधर फौत वारिस :–
(अ) केदारसिंह पुत्र बंशीधर
(ब) हरीसिंह पुत्र बंशीधर
निवासीगण ग्राम बागबई तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/13 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत संयुक्त परिवार की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/92–93/अ–27 दर्ज कर दिनांक 7–7–1993 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–8–1997 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण में विधिवत् बटवारा आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–1–2006 को आदेश पारित द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में सहमति से बटवारा आदेश पारित किया गया था और सहमति से बटवारा आदेश के विरूद्ध अपील ग्रहण योग्य नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी और अवधि बाह्य अपील का निराकरण गुणदोष पर करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् सहमति के आधार पर आदेश पारित कर बटवारा किया गया था जिसे निरस्त करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही कर बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसमें अनियमितता पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने हेतु बटवारा आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाना है, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह पूर्व में पारित आदेश की वैधानिकता के संबंध में अपना पक्ष रख सकते हैं, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर